141 नवरत्नों की सूची में एम टी एल एन और गेल (जी ए आई एल) को शामिल करना।

भारत सरकार ने चुने हुए 9 उद्यमों के विश्वस्तरीय बनने में सहायता प्रदान करने के लिए बढ़ी हुई वित्तीय और प्रचालन संबंधी स्वायत्त्ता प्रदान की थी। इस आशय के दिशानिर्देश लोक उद्यम विभाग के तारीख 22.7.97 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में जारी किए गए थे (दिशानिर्देशों की 4 पृथक प्रतियाँ संलग्न है)। इन नवरत्न उद्यमों द्वारा पी आई बी अनुमोदन की अपेक्षाओं के संबंध में एक अन्य स्पष्टीकरण तारीख 26.9.97 के लो.उ.वि. के कार्यालय ज्ञापन सं. लो.उ.वि./11 (2)/97–वित्त द्वारा जारी किया गया था (प्रति संलग्न है)।

2. सरकार ने अब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीएआईएल) को भी नवरत्न का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार ये दोनों लोक उद्यम मॉनीटरिंग और गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति सहित अनुबंधित शर्तों और प्रक्रियाओं के अधीन ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों में बताई गई बढ़ी हुई वित्तीय और प्रचालन संबंधी स्वायत्तता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

3. कृपया सरकार के उपर्युक्त निर्णय को एमटीएनएल और जीएआईएल दोनो की जानकारी में लाया जाए।

(लो.उ.वि. का का.ज्ञा. सं. लो.उ.वि./11 (2)/97–वित्त, तारीख 11.11.1997)